न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज०)

पीठासीन अधिकारी–पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या:–07/2021

स्वर्णसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी 22 एच तहसील करणपुर जिला श्री गंगानगर राज.।

–प्रार्थी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अनूपगढ जिला श्री गंगानगर राज.

–अप्रार्थी

::निर्णय:: **दिनांक:–14.06.2021**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी को आवंटन भूमि वाके चक 11 एलएसएम 'ए' तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–26 का पत्थर सं.–318/375 का कुल 6.200 हैक्टर कमांड खातेदारी रकबा है। जिसका प्रार्थी मौका पर मालिक वा काबिज है। उक्त रकबा की दिनांक–24.01.1993 को खातेदारी जारी करते समय खातेदारी में मुरब्बा नं.–318/375 की जगह मुरब्बा नं.–319/375 दर्ज हो गया है। प्रार्थी सद्भाविक है। प्रार्थी को पूर्व में उक्त गलत मुरब्बा नं.– की त्रुटि का इल्म नही हो सका। अब प्रार्थी द्वारा जब अपनी उक्त भूमि के कृषि कार्यों के संबंध में जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तो प्रार्थी का पता चला की भूमि गैर खातेदार है प्रार्थी ने खातेदारी सनद देखी तो उसमें मुरब्बा नं.–318/375 की जगह पर मुरब्बा नं.–319/375 लिखा हुआ है। प्रार्थी की उक्त भूमि में मुरब्बा नं. गलत होने की वजह से खातेदारी इंतकाल दर्ज नहीं हो पा रहा है उक्त त्रुटि राजस्व में कर्मचारियों के द्वारा हुई है जो न्यायहित में दुरूस्त की जानी न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि किया गया। तहसीलदार अनूपगढ को जवाब स्टेट हेतु लिखा जाकर रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रिपोर्ट, तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी को तत्कालिन चक 11 बीएनएम (जो वर्तमान में चक 11 एलएसएम ए है) में मिसल अनुसार पत्थर नं.–318/375 का किला नं.–1ता20 का 20 बीधा कमाण्ड भूमिहीन में व किला नं.–21ता25 का 4.10 बीधा कमाण्ड रकबा स्मालपेच श्रेणी मे कुल 24.10 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था। जिसकी सनद श्रीमान् जिला कलैक्टर महोदय श्री गंगानगर द्वारा सनद नं.–047706 दिनांक–24.06.93 को जारी की गई है। जिसमें चक 11 एलएसएम तथा पत्थर नं. –319/375 की 24.10 बीघा का अकंन है जब कि वास्तव में प्रार्थी को पत्थर नं.–318/375 में रकबा आवंटन है तथा प्रार्थी को जारी सनद सं.–047706 दिनांक–24.06.93 में चक 11एलएसएम के स्थान पर 11 एलएसएम ए तथा पत्थर सं.–319/375 के स्थान पर 318/375 की दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में सनद को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वाके चक 11 एलएसएम 'ए' तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–26 का पत्थर सं. –318/375 का कुल 6.200 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड [illegible] एलएसएम के स्थान पर 11 एलएसएम 'ए' तथा पत्थर सं.–319/375 के स्थान पर 318/375 [illegible] दुरूस्ती कर अंकन किया जावें। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश [illegible] अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14/06/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.06.20 13:14:01 IST
Reason: SelfAttested